न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
133/18	12.06.2018	30.05.2019

1. जगदीश पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– वादी

:: बनाम ::

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 वगैरा।
2. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
4. पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।
5. ए0बी0ए0जी0बी0 बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक ए0बी0ए0जी0बी0 बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्ताकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

1. **श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी**

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक दावा इस आश्य का पेश किया कि हाल आराजी ख0सं0 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 703 रकबा 0–11 बिस्वा, 705 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा दर्ज खाता 160 वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे वाद में विवादित आराजीयातज के नाम से संबोधित की जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी हाल संवत 2072–75 व नक्शा एक्स पार्चा संलग्न दावा हाजा है । उपरोक्त विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की मुश्तर्का कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है कि जिस पर हम पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। अबट आराजी है कि जिसका अभी तक किसी भी प्रकार से कोई तकासमा नही हुआ है। विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर मिन वादी का कानूनी रूप से हक हिस्सा है। हम पक्षकारान का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी है तथा अपने हिस्से मुताबिक ही सामलात में जमा सरकारी अदा कर रहे है। शामलाती काश्त को लेकर हम पक्षकारान के मध्य आये रोज तनाजा पैदा होता रहता है कि जिस वजह हम पक्षकारान का आपस में सामलात में काश्त करना नामूमकिन हो गया है। इसलिये मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई मर्तबा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराने को कहा लेकिन प्रतिवादी हर बार आज कल आज कल कहकर टाल बाल करता रहता है। लेकिन दिनांक 15/04/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ तौर पर विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराने से इन्कार कर दिया तथा सामलाती कब्जा काश्त वादी में मजाहमत पैदा करने व बिना तकसीम कराये ही दीगर जगह खुर्द बुर्द करने की ऐलानियता तौर पर धमकी दी है। मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी विवादित आराजी को दर्ज हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराकर अलहेदा अलहेदा खाता करवाकर कुरेजात करवाने का अधिकारी है। शामलाती काश्त को लेकर हम पक्षकारान के मध्य आये रोज तनाजा पैदा होता रहता है कि जिस वजह हम पक्षकारान का आपस में सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो गया है। इसिलये मिन वादी विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराने का अधिकारी है। मिन वादी ने प्रतिवादी हर बार आज कल आज कल कहकर टाल बाल करता रहता है। लेकिन दिनांक 15.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ तौर पर विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम कराने से इन्कार करते हुये विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये ही मजाहमत मदाखलत पैदा करने की व जब्रन आराजी से बेदखल करने की व किसी दीगर जगह बेचान करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक वादी है अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है।

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब को बिना 2 माह का कानूनी नोटिस दिये ही वाद में पक्षकारन बनाया गया है जबकि उनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक था। मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उनके विरूद्ध बिना 2 माह का कानूनी नोटिस दिये ही वाद पेश किया जा रहा है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 का अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित आराजी ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है तथा पक्षकारान भी यहीं के खातेदार काश्तकार है जो की न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आते है।

अतः प्रार्थना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की डिक्री इज्राय तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी खं0 सं0 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 703 रकबा 0–11 बिस्वा, 705 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा दर्ज खाता 160 वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 को दर्ज हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस तकसीम किया जावे तथा बाद तकसीम आराजी हम पक्षकारान के अलहेदा अलहेदा खाते कायम किये जावे व कुरेजात किये जावे। प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी खं0 सं0 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 703 रकबा 0–11 बिस्वा, 705 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा दर्ज खाता 160 वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 सामलाती कब्जा काश्त आराजी वादी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा न करे, ना ही वादी को आराजी से बेदखल करे, ना ही आराजी जोतने बोने फसल काटने समेटने व रूकावट बाधा पैदा करे, आराजी को बिना तकसीम कराये ही खुर्द बुर्द मुन्तकिल न करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका यथावत स्थिति कायम रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.06.2018 को पक्षकारान की सहमति से वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कोटकासिम को कुर्रेजात कायम कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु अहकाम जारी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

किया गया। तहसीलदार कोटकासिम से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ एवं विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वांन अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा की विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की मुश्तर्फा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन वादी एवं तर0 प्रतिवादी संख्या–1 का सामलात में कब्जा काश्त है एवं सामलात में ही काबिज एवं दाखिल होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या–1 सामलाति कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करता रहता है। इसलिए मिन वादी विवादित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कराना चाहते है। तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को सही बताया ओर कहा कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान ने आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसलिए वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है कि दोनो पक्षकारो को प्रत्येक खसरे में समान प्रकृति की भूमि मिले।

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 0–11, 702/1/1–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–14 बीघा वाके ग्राम पालपुर में लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 702/2/0–10, 705/1–05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–15 बीघा वाके ग्राम पालपुर में जगदीश पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम की रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 30.05.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा-डिक्री
(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
133/18	12.06.2018	30.05.2019

1. जगदीश पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– वादी

:: बनाम ::

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 वगैरा।
2. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
4. पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।
5. ए0बी0ए0जी0बी0 बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक ए0बी0ए0जी0बी0 बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्ताकारी
अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 0–11, 702/1/1–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–14 बीघा वाके ग्राम पालपुर में लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 702/2/0–10, 705/1–05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–15 बीघा वाके ग्राम पालपुर में जगदीश पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कोटकासिम की रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 30.05.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner